an>

Title: Need to take stern legal action against persons involved in desecration or insult to National Flag and National Anthem.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) ः देश में आतंकवादियों की याद में आयोजित कार्यक्रमों की घटनाएं और देश विरोधी नारे लगाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, यही नहीं, देश में राष्ट्रवाद पर बहस और राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की शिकायतों के प्रकाश में आने संबंधी मामले भी चिन्ताजनक है। हालांकि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अपमान के संबंध में कानूनी कार्यवाही व सजा का प्रावधान है। इसके लिए सरकार **ने "द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल हॉनर एक्ट 1971 "** और **"फ्लैग कोड ऑफ इंडिया-2002 "** बना रखे हैं।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान सुनिश्चत करें और इनका अपमान करने वालों को चिन्हित करने और समाज वास्ते कठोर कदम उठाने हेतु राज्यों को दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता है।